संख्या-177/2018/2722/22-2-2017-17(676)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2018**

विषयः- जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजा टोपी उर्फ आरिफ पुत्र श्री निसार, निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/(एम 06.09.2016) दिनांक 04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजा टोपी उर्फ आरिफ पुत्र श्री निसार, जो सकेरा स्टेट, थाना- अनवरगंज, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 14.02.2006 को सात सहअभियुक्तो के साथ मिलकर नईम व मो0 इम्तियाज व अनवार अली को, जो अपनी दुकान के काउन्टर पर खड़े थे, फायरिंग व बमबाजी से घायल किया। फायरिंग व बमों की आवाज सुनकर तमाम लोग मौके पर बचाने दौड़ पड़े। बन्दी व उसके सहअभियुक्त तमंचों को लहराते व फायरिंग कर धमकी देते हुए कि कोई आगे बढ़ा तो जान से मार देंगे। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1215/2006 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, एवं 3/5 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-कोर्ट सं0-01, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 04.05.2012 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.03.2016 तक 06 वर्ष 08 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 10 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलामजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजा टोपी उर्फ आरिफ पुत्र श्री निसार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजा टोपी उर्फ आरिफ (बन्दी संख्या-428/12) पुत्र श्री निसार, निवासी जनपद- कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-177/2018/2722(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कानपुर नगर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-177/2018/2722@22-2-2017-17(676)/2017

दिनांक 26 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजा टोपी उर्फ आरिफ पुत्र श्री निसार, जो सकेरा स्टेट,थाना- अनवरगंज, जनपद- कानपुर नगर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 14.02.2006 को सात सहअभियुक्तो के साथ मिलकर नईम व मो0 इम्तियाज व अनवार अली को, जो अपनी दुकान के काउन्टर पर खड़े थे, फायरिंग व बमबाजी से घायल किया। फायरिंग व बमों की आवाज सुनकर तमाम लोग मौके पर बचाने दौड़ पड़े। बन्दी व उसके सहअभियुक्त तमंचों को लहराते व फायरिंग कर धमकी देते हुए कि कोई आगे बढ़ा तो जान से मार देंगे। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1215/2006 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,307/149,एवं 3/5 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश- कोर्ट सं0-01, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 04.05.2012 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.03.2016 तक 06 वर्ष 08 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 10 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलामजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजा टोपी उर्फ आरिफ पुत्र श्री निसार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।